लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़
(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर)
(दूरभाष कमांक 007–2331385 फैक्स कमांक 0771–2445215, ई–मेल– cg.dpi.dir@gmail.com)

क्र0 / विद्या / सर्वो.न्या. / 2025–26 / 709 नवा रायपुर, दिनांकः–20/ 11 / 2025

प्रति,

1– समस्त, संयुक्त संचालक,
शिक्षा संभाग कार्यालय, छत्तीसगढ़

2– समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी
छत्तीसगढ़

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण Suo Moto Writ Petition(Civil) NO.05/2025 में प्रदत्त अनुसार कायवाही की समीक्षा।

संदर्भः– छ.ग.शासन पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर का पत्र कमांक E-166671 & 153108 / LAW-42/1802/2025/1724 दिनांक 13.11.2025

संदर्भित पत्र का अवलोकन करें एवं दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही शाला स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित करेंः–

1/ प्रत्येक शाला के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को नोडल नियुक्त किया जावे, जो शाला परिसर के आस–पास विचरण कर रहे आवारा कुत्तों की सूचना ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/निगम के डॉग क्रैचर नोडल अधिकारी को देंगे।

2/ शाला प्रमुख ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/निगम के सहयोग से शाला में आवारा कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करेंगे।

3/ आवारा कुत्ते के काटने पर, प्रभावित बच्चे को त्वरित रूप से उपचार हेतु निकट के स्वास्थ्य केन्द्र में पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ0क्र0 / विद्या / सर्वो.न्या. / 2025–26 / 710 नवा रायपुर, दिनांक :–20 / 11 / 2025

प्रतिलिपिः–

1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर।

2/ सचिव, छ.ग.शासन, पशुधन विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1724 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/25

प्रति,

1 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
2 सचिव, छ.ग. शासन, लोकनिर्माण विभाग
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
4. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
6. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
7. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़
8. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ
9. संचालक पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक Suo Moto Writ Petition(Civil) No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की समीक्षा।

—00—

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय के प्रतिकक्ष में दिनांक 14.11.2025 को अपरान्ह 04:00 बजे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रकरण कमांक Suo Moto Writ Petition(Civil) No 05/2025** में दिनांक 11.08.2025, 22.08.2025 एवं 07.11.2025 को पारित अंतरिम आदेश **में प्रदत्त निर्देश अनुसार** कार्यवाही की **समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना के संबंध में बैठक आयोजित है।** बैठक का एजेंडा संलग्न है।

2/ उक्त बैठक में सर्व संबंधित विभाग के जिला अधिकारी वर्चुअल मोड में सम्मिलित होगे। वर्चुअल मोड में जुड़ने जिलों के लिए लिंक पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।

कृपया उक्त बैठक में विभाग से संबंधित अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
SURYA KIRAN AGRAWAL
Date: 13-11-2025
16:22:22
(सूर्यकिरण अग्रवाल)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पशुधन विकास विभाग

पृ. E-166671 & 153108/LAW-42/1802/2025/1725 नवा रायपुर, दिनांक 13/11/25

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन।
2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन।
3. अतिरिक्त राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छत्तीसगढ़ की ओर वर्चुअल मोड में बैठक हेतु लिंक उपलब्ध कराए जाने बावत्।
4. नोडल अधिकारी .... पशुधन विकास विभाग।

Digitally signed by
MOUSAM MEHRA
Date: 13-11-2025
16:31:26
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
पशुधन विकास विभाग

Scanned with OKEN Scanner

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक Suo Moto WritPetition (Civil) No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही की समीक्षा।

//एजेण्डा//

1. **पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 (एबीसी नियम) के संबध में निर्देश पर कार्यवाही—**
   i. आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवा, टीकाकरण।
   ii. आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधन का गेप—एनालिसिस। (कुत्ता बाड़ा, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने एवं कुत्तों की देखभाल करने वाले कर्मचारी, वाहन, पिंजरे आदि)
   iii. प्रत्येक वार्ड मे आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थान का चिन्हांकन।
   iv. समर्पित हेल्पलाईन नंबर।
   v. इच्छुक पशु प्रेमी स्ट्रीट डॉग को गोद लेने के लिए संबधित नगर निकाय में प्राप्त आवेदन।
2. **संस्थागत क्षेत्रों के संबध में निर्देश पर कार्यवाही—**
   i. स्थानीय/नगरपालिका प्राधिकारी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओ की पहचान— (सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक खेल परिसरों या स्टेडियमों, बस स्टैंड/डिपो और रेलवे स्टेशन)— **01 सप्ताह की समय सीमा।**
   ii. संस्थानों के प्रमुख द्वारा आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए चिन्हित परिसर फेंसिंग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय— **08 सप्ताह की समय सीमा।**
   iii. चिन्हित संस्थानों के प्रमुख द्वारा परिसर के रख—रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
   iv. स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण और पंचायतें द्वारा ऐसे सभी परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण।
   v. स्थानीय/नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन करना ।
   vi. सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी—रेबीज टीकों और इम्यूनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक रखना।
   vii. प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास सावधानी बरतने संबंधी व्यवहार, काटने पर प्राथमिक उपचार और तत्काल सूचना देने के प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र आयोजित करना।
   viii. स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड—कीपिंग कर्मियों की तैनाती।
   ix. सार्वजनिक परिवहन परिसर (रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, डिपो और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख—रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना।
3. **राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे में आवारा मवेशी के संबंध में निर्देश पर कार्यवाही—**
   i. राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
   ii. उन हिस्सों की पहचान करना जहाँ आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशु अक्सर पाए जाते हैं।
   iii. प्रत्येक प्राधिकारी समर्पित राजमार्ग गश्ती दल गठित करेगा या मौजूदा सड़क सुरक्षा इकाइयों को निरंतर निगरानी हेतु निर्दिष्ट करेगा। उक्त गश्ती दल 24x7 आधार पर कार्य करेंगे।
   iv. नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएँगे। उक्त हेल्पलाइन्स स्थानीय पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के रियल टाईम निवारण और निगरानी नियंत्रण कक्षों से जुड़ी होगी।
4. **संबंधित विभागो द्वारा संयुक्त निर्देश जारी किया जाना —**
5. **डिजिटिलाईज्ड रिर्पोटिंग फार्मेट तैयार किया जाना—**

..............................00..............................

Scanned with OKEN Scanner

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक Suo Moto WritPetition (Civil) No 05/2025 में प्रदत्त निर्देश अनुसार कार्यवाही हेतु

// विभागवार कार्यो का चिन्हांकन //

क्र	विभाग	चिन्हांकित कार्य
1.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	संसाधनों का गेप एनालिसिस– कुत्ता बाड़ा, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने एवं कुत्तों की देखभाल करने वाले कर्मचारी, वाहन, पिंजरे।
		आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवापान, टीकाकरण
		प्रत्येक वार्ड मे आवारा कुत्तों के लिए समर्पित भोजन स्थान का चिन्हांकन
		समर्पित हेल्पलाईन नंबर
		इच्छुक पशु प्रेमी द्वारा स्ट्रीट डॉग को गोद लिये जाने संबंधी कार्यवाही
		नगरी निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओ की पहचान– **01 सप्ताह की समय सीमा।**
		चिन्हित परिसर फेंसिग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय– **08 सप्ताह की समय सीमा।**
		चिन्हित परिसर के रख–रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
		चिन्हित परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण।
		चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन
		स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड–कीपिंग कर्मियों की तैनाती।
		सार्वजनिक परिवहन परिसर (रेलवे स्टेशन, बसस्टैंड, डिपो और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख–रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना।
		नगरी निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य राजमार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
2	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	पंचायत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संस्थाओ की पहचान– **01 सप्ताह की समय सीमा।**
		चिन्हित परिसर फेंसिग, बाऊंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना से सुरक्षित हो इस हेतु आवश्यक उपाय– **08 सप्ताह की समय सीमा।**
		चिन्हित परिसर के रख–रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
		चिन्हित परिसरों का कम से कम हर तीन महीने में एक बार नियमित निरीक्षण।
		चिन्हित संस्थानों से प्रत्येक आवारा कुत्ते को तुरंत हटाना नसबंदी और टीकाकरण कर निर्दिष्ट आश्रय स्थल में व्यवस्थापन
		स्टेडियमों और खेल परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश/परिसर में निवास को रोकने प्रबंधन द्वारा सुरक्षा या ग्राउंड–कीपिंग कर्मियों की तैनाती।
		सार्वजनिक परिवहन परिसर में आवारा कुत्तों के निवास या आवागमन को रोकने प्रभावी रूप से सुरक्षा, रख–रखाव तथा उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करना, नियमित निरीक्षण करना।
		पंचायत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर राज्य राजमार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे से सभी आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशुओं को हटाकर निर्दिष्ट आश्रयों में विस्थापित करना।
3.	पशुधन विकास विभाग	आवारा कुत्तों की नसबंदी, कृत्रिमनाशक दवापान, टीकाकरण में सहयोग
		कुत्तो के निर्दिष्ट आश्रय स्थल में पशु चिकित्सा की व्यवस्था
		राजमार्ग गश्ती दल की सूचना पर पशु उपचार की कार्यवाही
		पंजीकृत गौशाला एवं गोधाम में आवारा गौवंशीय का विस्थापन
		समस्त संबंधित विभागो से समन्वय

Scanned with OKEN Scanner

क्र	विभाग	चिन्हांकित कार्य
4.	लोकनिर्माण विभाग	कार्यक्षेत्र अंतर्गत संस्थाओ की पहचान– 01 सप्ताह की समय सीमा।
		चिन्हित संस्थाओ/परिसर में फेंसिंग, बाउंड्रीवॉल, गेट और ऐसे अन्य अधोसंरचना हेतु आवश्यक उपाय– 08 सप्ताह की समय सीमा।
		चिन्हित परिसर के रख–रखाव और सफाई तथा आवारा कुत्ते परिसर में प्रवेश नहीं करें या वहाँ नहीं रहे सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
		राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के उन हिस्सों की पहचान करना जहाँ आवारा गौवंशीय एवं अन्य पशु अक्सर पाए जाते हैं।
		समर्पित राजमार्ग गश्ती दल गठित करेना या मौजूदा सड़क सुरक्षा इकाइयों को निरंतर निगरानी हेतु निर्दिष्ट करना उक्त गश्ती दल 24x7 आधार पर कार्य करेंगे।
		राजमार्ग में नियमित अंतराल पर हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित करना। उक्त हेल्पलाइन्स स्थानीय पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन के रियल टाईम निवारण और निगरानी नियंत्रण कक्षों से जोड़ना।
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को हर समय एंटी–रेबीज टीकों और इम्यूनोग्लोबुलिन का अनिवार्य स्टॉक रखना।
6.	स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में छात्रों और कर्मचारियों के लिए जानवरों के आसपास सावधानी बरतने संबंधी व्यवहार, काटने पर प्राथमिक उपचार और तत्काल सूचना देने के प्रोटोकॉल पर जागरूकता सत्र आयोजित करना।
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, छ.ग.	डिजिटिलाईज्ड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाना

File No. LAW/3558/2025-O/O OFFICER ON SPECIAL DUTY(ANIMAL HUSBANDRY TECH) (Computer No. 166671)
Generated from eOffice by Dr Mousam Mehra, OSD(ANIMAL HUSBANDRY-TECH), OFFICER ON SPECIAL DUTY(ANIMAL HUSBANDRY-TECH), ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT on 13/11/2025 04:1[illegible]

Scanned with OKEN Scanner